तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स कर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/6/2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी के बी.फ.होल्डर श्री राकेश सुथार उपस्थित। अप्रार्थीगण मय वकील उपस्थित नहीं। बार-2 आवाज लगाने पर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा की जाती है। बहस एकतरफा सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 20/6/18 को पेश हो। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	
20/6/2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण कोई उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी ने बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम कुम्हारिया तह. भीलवाड़ा में स्थित है। पूर्व में प्रकरण को अप्रार्थीगण के द्वारा तत्कालीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने के कारण उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी में स्थानान्तरित करवाया था। वर्तमान में तत्कालीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः निवेदन है कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में	

स्थानान्तरित फरमाया जावे।

हमने वकील प्रार्थी को सुना प्रकरण के तथ्यों का अध्ययन किया गया। पूर्व में इस न्यायालय के आदेश प्रकरण सं० 06/2014 विविध प्रा०पत्र आदेश दिनांक 22-01-2014 से प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के वाद 192/12 व सं० 487/2012 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रा०पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा से न्याय निर्णय की आशा नहीं होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किए गए थे। चूँकि वर्ष 2014 में जो पीठासीन अधिकारी थे उनका स्थानान्तरण हो चुका है तथा वादोक्त भूमि ग्राम कुम्हारिया तहसील भीलवाड़ा क्षेत्र की है एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण भी तहसील भीलवाड़ा के ही निवासी हैं। अतः प्रकरण में सम्बन्धित पक्षकारान सुलभ एवं त्वरित न्याय मिले इस दृष्टि से एवं प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप प्रकरण वाद सं० 28/2014 एवं प्रा०पत्र सं० 29/2014 व 46/2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में स्थानान्तरित किए जाने हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी को आदेशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में उक्त प्रकरण को विचाराधीन

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

वाद संख्या 28/2014 अन्तर्गत धारा
88-89-92क व 188 R.T.A. उनवान
रतन कंवर बनाम गुमान सिंह को
एवं प्रार्थना पत्र संख्या 29/2014
अन्तर्गत धारा 212 RTA को न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को
अग्रिम सुनवाई हेतु स्थानान्तरित करें।
आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय
में सुनाया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। आदेशानुसार पत्र जारी हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम हो।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा